

# कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टोंक

वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र, न्यायालय परिसर, टोंक (राज.)  
Phone No. : 01432-294603, E-mail: legalaidtonk@gmail.com

क्रमांक : प. ()/स्था./1583


दिनांक : 20/02/25

## आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी विज्ञापन संख्या रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/क.न्या.स. एवं लिपिक ग्रेड-II/2022/2248 दिनांक 05.08.2022, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक G/I/A-4(i)(a)88/2022/1275 दिनांक 20.12.2024, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक No.F-7( )RSLSA/Recruitment Jr. Assi./Estt./2019/27436 दिनांक 18.02.2025 एवं राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक कर्मचारी संस्थापन नियम 1986 (यथा संशोधित नियम) एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन दो वर्ष के परीवीक्षा काल पर प्रथमतः छः माह के लिये राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 में कनिष्ठ सहायक/लिपिक ग्रेड-II के पद पर अस्थायी तौर पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः माह/दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ. 15(1)एफ.डी.(नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 14,600/-रुपये मासिक नियत (फिक्स) पारिश्रमिक पर निम्नानुसार अभ्यर्थी को नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

S.No.	Roll No	Name of Candidate, Father's Name & Address	Date of Birth	Gender	Alloted District
1	171685	Shri Ravindra Kumar Meena S/o Shri Om * Prakash Meena R/o Village Brahmabad, Post Chandra, Tehsil Sikrai, Dausa (Raj.)	10.12.1994	Male	Tonk

1. सभी नियुक्तियाँ कनिष्ठ न्यायिक सहायक/कनिष्ठ सहायक/ लिपिक ग्रेड-द्वितीय की संयुक्त परीक्षा 2022 के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिकाओं एवं विधिक कार्यवाही के निर्णयाधीन रहेंगी।
2. प्रथम छः माह की अवधि में कार्य व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
3. प्रथम छः माह में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परीवीक्षाकाल एक साथ या समुचित अन्तराल पर 2 वर्ष तक बढ़ाया जावेगा। पूरे परीवीक्षाकाल में कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद होने पर ही उपरोक्त वेतनमान (पे-मेट्रिक्स) में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जायेगा।
4. अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत समक्ष प्रमाण पत्रों के संबंधित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थाई नियुक्ति दी गई है। सत्यापन में कोई भी दस्तावेज़ या सूचना मिथ्या पाई गई तो बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
5. पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गई सूचनायें या सत्यापन सही नहीं पाये जाने पर या उसके पूर्व का आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाये जाने पर बिना नोटिस दिये सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
6. अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार, वित्त विभाग के आदेशों के अधीन चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के संबंध में राज्य सरकार/माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र लागू होंगे।
7. राज्य सरकार या माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र के अधीन पेंशन योजना लागू होगी।

  
20-02-2025

8. इस आदेश की प्राप्ति के 07 कार्य दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह माना जावेगा कि सम्बन्धित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
9. नवनियुक्त अभ्यर्थीगण पर राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र, सेवा नियम एवं आचरण नियम लागू होंगे।
10. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 10 के तहत सेवा में योग्य होने का सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. अभ्यर्थी को कार्यालय में अपने समस्त मूल दस्तावेज (शैक्षणिक, कम्प्यूटर योग्यता एवं अन्य योग्यता सम्बन्धित दस्तावेज) मय सत्यापित छाया प्रतियाँ प्रस्तुत करने होंगे।

पदस्थापन आदेश अभ्यर्थी की उपस्थिति उपरान्त पृथक से जारी किया जावेगा।

sd/-

अध्यक्ष


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)  
टोंक (राज.)

क्रमांक : प.()/स्था./1584-1590

दिनांक : 20/02/25

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :

1. आदेश पत्रावली
2. सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर (राज.)
3. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा
4. सिस्टम ऑफिसर, न्यायिक सेवा केन्द्र, टोंक को जिला न्यायालय, टोंक की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. अभ्यर्थी श्री रविन्द्र कुमार मीना पुत्र श्री ओम प्रकाश मीना निवासी ग्राम ब्रह्मबाद पोस्ट चन्देरा, तहसील सिकराय, दौसा (राज.)
6. निजी पत्रावली अभ्यर्थी श्री रविन्द्र कुमार मीना पुत्र श्री ओम प्रकाश मीना निवासी ग्राम ब्रह्मबाद पोस्ट चन्देरा, तहसील सिकराय, दौसा (राज.)
7. रक्षित पत्रावली

  
सचिव 20.02.2025

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)  
टोंक (राज.)